वृद्धावस्था जीवन-निर्वाह भत्ता

स्व-परिवर्तन/
डाक जमा/ नए आवेदन
प्रक्रियाएं

社會福利署
Social Welfare Department

फरवरी 2013

परिचय

समाज कल्याण विभाग (एसडब्ल्यूडी), अप्रैल 2013 में प्रारंभ करने वाली समाज सुरक्षा भत्ता योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था जीवन-निर्वाह भत्ता(ओएएलए) शुरू की जायेगी। इसमें 65 वर्ष या अधिक आयु के जरूरतमंद होंगकोंग निवासियों को उनके जीवन-निर्वाह खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह $2,200 नगद भत्ता दिया जायेगा।

स्व-परिवर्तन/डाक जमा/ नए आवेदन प्रक्रियाएं

विभिन्न प्रकार के बुजुर्ग व्यक्ति विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ओएएलए प्राप्त कर सकते हैं:

चरण 1- स्व-परिवर्तन	➢ 65-69 के बीच की आयु के बुज़ुर्ग व्यक्ति वर्तमान में साधारण वृद्धावस्था भत्ता (ओएए)) प्राप्त कर रहे हैं, या 70 या अधिक आयु के बुज़ुर्ग व्यक्ति वर्तमान में उच्चतर ओएए प्राप्त कर रहे हैं और 65 से 69 आयु के बीच बुज़ुर्ग व्यक्ति साधारण ओएए प्राप्त कर चुके हैं। • एसडब्ल्यूडी 25 फरवरी 2013 को उन्हें एक हरा सूचना-पत्र जारी करेगा जिसमें स्व-परिवर्तन प्रक्रियाएं के बारे में सूचित **वृद्धावस्था जीवन-निर्वाह भत्ता की जवाबी रसीद** होगी। • जो बुज़ुर्ग व्यक्ति ओएएलए में परिवर्तित होना चाहते हैं और जिनकी आमदनी तथा परिसम्पत्ति निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हैं (कृपया विवरण के लिए पृष्ठ 3 देखें), तो उन्हें न तो जवाब देने की जरूरत है और न ही अलग से आवेदन करने की जरूरत हैं। वे स्वतः ही ओएएलए प्राप्त करने के लिए परिवर्तित हो जायेंगे और उसका पेमेंट उनके निर्धारित बैंक खाता, जो वर्तमान में अप्रेल 2013 को ओएए प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया गया हो, में जमा हो जायेगा। • बुज़ुर्ग व्यक्ति जो ओएएलए में परिवर्तित होना चाहते हैं या उनकी आमदनी और/या परिसम्पत्ति निर्धारित सीमा से अधिक हैं, उन्हें **वृद्धावस्था जीवन-निर्वाह भत्ता की जवाबी रसीद** को भरकर इसे 22 मार्च 2013 को या इससे पहले एसडब्ल्यूडी को लौटा दें।
चरण 2- डाक जमा	➢ 70 या अधिक आयु के बुज़ुर्ग व्यक्ति जो वर्तमान में उच्चतर ओएए प्राप्त कर रहे हैं और 65 से 69 की आयु के बीच साधारण ओएए प्राप्त नहीं किये हैं, या वर्तमान में 65 या अधिक आयु के बुज़ुर्ग व्यक्ति साधारण विकलांगता भत्ता (डीए) प्राप्त कर रहे हैं। • एसडब्ल्यूडी 25 मार्च 2013 को उन्हें एक पीला सूचना-पत्र जारी करेगा जिसमें डाक द्वारा ओएएलए आवेदन प्रक्रिया के बारे में सूचित **डाक जमा आवेदन-पत्र** होगा। • जो बुज़ुर्ग व्यक्ति ओएएलए के इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन-पत्र को 31 दिसम्बर 2013 को या इससे पहले एसडब्ल्यूडी को डाक द्वारा जमा करा सकते हैं, और उन्हें आवेदन लेकर सीधे एसडब्ल्यूडी की सामाजिक सुरक्षा फिल्ड यूनिट में पहुंचने की जरूरत नहीं हैं। **डाक जमा आवेदन-पत्र** की प्राप्ति पर, एसडब्ल्यूडी उनकी योग्यता को अतिशीघ्र सत्यापित करेगा। उनके योग्य होने पर, उसका पेमेंट उनके निर्धारित बैंक खाता, जो वर्तमान में ओएए/साधारण डीए पेमेंट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया गया हो, में जमा हो जायेगा।
चरण 3- नये आवेदन	➢ 65 या अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति जो वर्तमान में ओएए या साधारण डीए प्राप्त नहीं कर रहे हैं लेकिन ओएएलए की जरूरत हैं, और ओएएलए की आवास जरूरतें तथा आमदनी एवं परिसम्पत्ति जरूरतें सहित पात्रता मापदण्ड को पूरा करते हैं(कृपया विवरण के लिए पृष्ठ 3 देखें) • वे ओएएलए के लिए फैक्स, ईमेल, डाक द्वारा या सरकारी विभाग/गैर-सरकारी इत्यादि संगठनों द्वारा रेफर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या उनके आवास स्थान के नजदीकी एसडब्ल्यूडी के सामाजिक सुरक्षा फिल्ड यूनिट में जा सकते हैं। आवेदन-पत्र और दिशानिर्देशन टिप्पणी एसडब्ल्यूडी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा फिल्ड यूनिट से प्राप्त कर सकते हैं। • एसडब्ल्यूडी नये आवेदनों को 2 अप्रैल 2013 से लागू से प्राप्त करेगा।

विशेष

(1) अतिशीघ्र 1 दिसम्बर 2012 से पूर्वव्यापी पेमेंट, स्व-परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से, या 31 दिसम्बर 2013 को या इससे पूर्व प्राप्त आवेदनों के लिए योग्य बुजुर्ग व्यक्तियों को किया जायेगा। 31 दिसम्बर 2013 के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, योग्य उम्मीद्वार ही पात्रता तिथि से ओएएलए पेमेंट प्राप्त करेगा।

(2) 70 वर्ष या अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आमदनी और/या परिसम्पति निर्धारित सीमा से अधिक है जो ओएएलए में परिवर्तित होने के इच्छुक नहीं हैं, वे प्रतिमाह $1,135 उच्चतर ओएए को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं/जारी रख सकते हैं।

पूछताछ

ओएएलए के बारे पूछताछ के लिए, कृपया पूछताछ हॉटलाइऩ में कॉल करें या हमारी वेबसाइट को देखें।

हॉटलाइऩ: 35950130
वेबसाइट: www.swd.gov.hk/oala

ओएएलए की पात्रता मापदण्ड में शामिल हैः

- 65 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति
- न्यूनतम सात वर्ष से होंगकोंग निवासी और आवेदन तिथि से ठीक पूर्व न्यूनतम एक वर्ष से लगातार होंगकोंग में निवास कर रहे हो(एक वर्ष अवधि के दौरान अधिकतम 56 दिन तक होंगकोंग से अनुपस्थित व्यक्ति को भी होंगकोंग निवासी माना जायेगा।
- निम्नलिखित निर्धारित सीमा से अधिक आमदनी और परिसम्पत्ति न हों।

	सिंगल व्यक्ति	विवाहित युगल
प्रतिमाह कुल आमदनी	$6,880	$10,940
कुल परिसम्पत्ति मूल्य	$193,000	$292,000

> "आमदनी" में रोजगार से मजदूरी; हाथ के काम, व्यापार इत्यादि से आमदनी (जिसमें वेतन, मजदूरी, मासिक कमीशन या प्राप्त बोनस, और स्वरोजगार से मासिक आय शामिल हैं); सेवानिवृत्त लाभ पेंशन; और प्राप्त किराये पर शुद्ध आय शामिल हैं। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदार या दोस्तों से योगदान और रिवर्स बंधक योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त मासिक भुगतान राशि शामिल नहीं हैं, लेकिन हस्त-सर्जित कोई भी अक्षय और जमा बचत नगद राशि को "परिसम्पति" के रूप में माना जायेगा।

> "परिसम्पति" (1) में भूमि और गैर-मालिक द्वारा कब्जा शुदा प्रोपर्टी(2), नगद राशि, बैंक बचत, शेयर और स्टॉक में निवेश (बाँड, न्यासकोष और प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ(3)), निवेश के लिए वाहन (जैसे टैक्सी और सार्वजनिक हल्की बस) और इसके बिजनिश का लाइसेंस, तथा सोने की सलाखें और सोने के सिक्के इत्यादि शामिल होते हैं। मालिक द्वारा कब्जा शुदा प्रोपर्टी, भविष्य में स्व-उपयोग के लिए अस्थिशेष रखने के भवन-आला, और बीमा योजनाओं का नगद मूल्य शामिल नहीं होगा।

(1) होंगकोंग, मकाओ, मुख्यभूमि या विदेशों की प्रोपर्टी शामिल है।

(2) मात्र एक आवासीय प्रोपर्टी का मूल्य जो होंगकोंग में निवास का मुख्य स्थान है, को शामिल नहीं किया जायेगा। आवेदक और/उसके जीवनसाथी द्वारा अलग से या संयुक्त रूप से स्वामित्व की अन्य प्रोपर्टी को "गैर-मालिक कब्जा शुदा प्रोपर्टी" माना जायेगा और इसे "परिसम्पति" के मूल्यांकन खाते में माना जायेगा।

(3) प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ से तात्पर्य वर्तमान में अनिवार्य भविष्य निधि ("एमपीएफ") योजना(एं) या अन्य सेवानिवृत्ति योजना(एँ) में धारित सेवानिवृत्ति लाभों से हैं। इस तरह की प्राप्त लाभों की अनुमानित कुल राशि की सूचना, एमपीएफ ट्रस्टी या अन्य सेगानिवृत्ति योजना ट्रस्टी/प्रशासक द्वारा जारी नवीनतम लाभ स्टेटमेंट्स या संबंधित अन्य दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त सूचना पर आधारित होगी।

- वृद्धावस्था भत्ता, विकलांग भत्ता या व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता की प्राप्ति न हो

अधिक जानकारी और अन्य पात्रता मापदण्ड के लिए, कृपया सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना (एसडब्ल्यूडी की वेबसाइटःwww.swd.gov.hk). देखें।